रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1986/पौष 27, 1907

No. 24] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1986/PAUSA 27, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 34(अ)—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ड की उपधारा (4ख) के साथ पठित धारा 642 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, *कंपनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) संशोधन नियम, 1986 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. *कंपनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

"(थ) 'प्रतिभूति संविदा अधिनियम' से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अभिप्रेत है; (द) 'प्रतिभूति' से प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित प्रतिभूति अभिप्रेत है ;"

*टिप्पण :— कंपनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 भारत के राजपत्र (असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 12-12-75 में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 583 (अ) तारीख 10-12-1975 द्वारा प्रकाशित किये गए थे। बाद में उनका संशोधन अधिसूचना सं. सा. का. नि. 601 तारीख 2-5-77, सा. का. नि. 422 (अ) तारीख 21-8-78, सा. का. नि. 583 (अ) तारीख 1-8-84 द्वारा किया गया।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में "तथा धारा 17, 18 और 19 के अधीन अर्जियों" शब्दों, और अंकों के स्थान पर "प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन प्रत्येक निर्देश, और अधिनियम की धारा 17, 18 और 19 के अधीन अर्जियों" शब्द कोष्ठक अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 9 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(3क) प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन प्रत्येक निर्देश परिशिष्ट 1 में प्ररूप सं. 10 में फाइल किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे निर्देश के साथ परिशिष्ट 2 में क्रम संख्यांक 5 से संबंधित प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दस्तावेज और संलग्नक होंगे।"

5 उक्त नियमो के नियम 11 म उपनियम (2) की सारणी म, क्रम स 7 और उससे सबधित प्रविष्टियो के पश्चात निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा अर्थात –

1	2	3
"8-प्रतिभूति सविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खड (ग) के अधीन निर्देश।	प्रतिभूतियो के रजिस्ट्रीकरण या अर्राजस्ट्रीकरण के लिये निर्देश जारी किये जाने के लिए निर्देश	100 00"

6 उक्त नियमो के नियम 39 के पश्चात निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात –

"39क प्रतिभूति सविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खड (ग) के अधीन निर्देश,— इन नियमो के उपबध, यथा-वश्यक परिवर्तन सहित, प्रतिभूति सविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खड (ग) के अधीन किये गए निर्देश पर लागू होगे।'

7 उक्त नियमो के परिशिष्ट 1 म, प्ररुप सख्याक 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात –

"प्ररुप स 10

[नियम 9 (3क) देखिए]

प्रतिभूति सविदा अधिनियम 1956 की धारा 22क की उपधारा (4) के खड (ग) के अधीन निर्देश करने की अर्जी।

सेवा मे,

न्यायपीठ अधिकारी,
कपनी विधि बोर्ड, न्यायपीठ
——————क्षेत्र,
————————

कपनी का नाम मैसर्स————————————————
————————————

ऊपर नामित अर्जीदार कपनी निम्नलिखित रुप मे, कथित करती है

1 कपनी की प्रतिभूतियो के अतरण की लिखत (ता) (इस अर्जी के उपाबध मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार) ————————को ———————— (नाम और पता) ——————————(जिसे इसमे इसके पश्चात "अतरक" कहा गया है) से —————————— (जिसे इसमे इसके पश्चात "अतरिती" कहा गया (नाम और पता) है) के नाम से उक्त प्रतिभूतिया के अतरण के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत की गई थी।

2 अर्जीदार कपनी ने, ———————————— को हुई अपने बार्ड की बैठक म, नीचे उल्लिखित कारण (णो) मे, सदभावनापूर्ण यह राय बनाई है कि अतरिती (ओ) के नाम से उक्त प्रतिभूतियो के रजिस्ट्रीकरण से इकार किया जाना चाहिए, (पूर्ण ब्यौरे देते हुए कारण विनिर्दिष्ट करे— यदि आवश्यक समझा जाए तो अतिरिक्त पृष्ठ उपाबद्ध करे)।

1 यह कि प्रतिभूतियो का अतरण ——— विधि के निम्नलिखित उपबध के उल्लघन मे है।

2 यह कि प्रतिभूति के अतरण से निदेशक बोर्ड की सरचना मे ऐसे परिवर्तन होने की सभावना है जिससे कपनी के हितो पर या लोक-हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

3 यह कि प्रतिभूतिया का अतरण ——— के आदेश द्वारा प्रतिषिद (न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के ब्यौरे दे)
——————————————

4 ——————————————————————

3 प्रतिभूति सविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खड (ग) के उपबधो के अनुसरण मे अर्जीदार कपनी ऊपर पैरा 2 मे कथित कारणो को देखते हुए अतरिती के नाम मे उक्त प्रतिभूतियो के अतरण के रजिस्ट्रीकरण से इकार करने से सबधित राय के बारे मे कपनी विधि बोर्ड न्यायपीठ की पुष्टि चाहती है। इस अर्जी की एक प्रति रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उक्त अतरक (अतरको) और अतरिती (अतरितियो) को भी भेजी जा रही है [अतरक (अतरको) और अतरिती (अतरितियो) का नाम और पता दे]।

4 कपनी विधि बोर्ड को यह निर्देश करने मे अर्जीदार कपनी द्वारा कपनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 के उपबधो का सम्यक अनु-पालन किया गया है।

हस्त

अर्जीदार के लिए और उसकी ओर से

सलग्नक यथा उपरोक्त

तारीख प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम

अर्जी मे यथानिर्दिष्ट उपाबध

प्रतिभूतियो की सख्या और पूर्ण विवरण	अको मे सख्या	शब्दो मे सख्या	विवरण साम्या/अधिमान/डिबेचर

सुभिन्न सख्याक——————————"

8- उक्त नियमो के परिशिष्ट 2 मे,–

(i) "[नियम 9 (3) 37 देखिए]" शीर्षक वर्ग कोष्ठको, शब्द और अको के स्थान पर "[नियम 9 (3), 9 (3क) और 37 देखिए]' शीर्षक, वर्ग कोष्ठक, शब्द, अक और अक्षर रखे जाएगे

(ii) क्रम सख्याक 4 और उससे सबधित प्रविष्टियो के पश्चात निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा अर्थात –

1	2	3	4
5–	प्रतिभूति सविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) का खड (ग)	प्रतिभूतियो के रजिस्ट्रीकरण/अरजिस्ट्रीकरण के लिए निदेश जारी किए जाने के लिए निदेश	1 कपनी के पास दाखिल किए गए अतरण के साथ अतरण की लिखत और अन्य दस्तावेजे। 2 अतरक/अतरिती/स्टाक दलाल/ सबधित स्टाक एक्सचेज से हुए पत्र व्यवहार की प्रतिया। 3 कपनी के पास अतरण की लिखत दाखिल करने की अधि-अप्रमाणित प्रति। 4 प्रतिभूति सविदा

1	2	3	4
			अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन अंतरक/ अंतरिती को दी गई सूचना ।
			5. अंतरण रजिस्टर करने से इंकार करने के लिए कारण देते हुए निदेशक बोर्ड का संकल्प ।
			6. कंपनी के संगम ज्ञापन/ संगम अनुच्छेद की तीन प्रतियां ।
			7. कंपनी की प्रास्थिति के सबूत में दस्तावेजी साक्ष्य ।
			8. प्ररुप सं. 2 में शपथ-पत्र ।
			9. आवेदन फीस संदत्त किये जाने के प्रमाण स्वरुप चालान/ बैंक ड्राफ्ट ।
			10. प्ररुप सं. 4 हाजिरी का ज्ञापन ।"

[फ. सं. 5/4/85–सी. एल. 5]
ए. एम. चक्रवर्ती, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 17th January, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 34(E).- In exercise of the powers conferred by section 642, read with sub-section (4B) of section 10E, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the *Company Law Board (Bench) Rules, 1975, namely:—

1.(1) These rules may be called the Company Law Board (Bench) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the *Company Law Board (Bench) Rules, 1975(hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (p), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(q) 'Securities Contracts Act' means the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(r) 'security' means security as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 22A of the Securities Contracts Act;"

*Note:—The Company Law Board (Bench) Rules, 1975 were published vide Notification No. G.S.R. 583(E) dated the 10-12-75 in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 12-12-75. Subsequently amended by Notification Nos.

G.S.R. 601 dated 2-5-77.

G.S.R. 422(E) dated 21-8-78.

G.S.R. 583(E) dated 1-8-84.

3. In rule 4 of the said rules, for the words and figures "and petitions under sections 17, 18 and 19", the words, brackets, figures and letters "every reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act, and petitions under sections 17, 18 and 19 of the Act," shall be substituted.

4. In rule 9 of the said rules, after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely:—

"(3A) Every reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act shall be filed in Form No. 10 in Appendix-I and every such reference shall be accompanied by the documents and enclosures specified in entries relating to serial number 5 in Appendix-II."

5. In rule 11 of the said rules, in the Table to sub-rule (2), after Serial Number 7 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3
"8. Reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act.	Reference for issuance of direction for registration or non-registration of securities.	100.00."

6. After rule 39 of the said rules, the following shall be inserted, namely:—

"39A. Reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act.—The provisions of these rules shall, mutatis mutandis, apply to any reference made under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act."

7. In Appendix-I to the said rules, after Form No. 9, the following shall be inserted, namely:—

"FORM NO. 10

[See rule 9 (3A)]

Petition for making a reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act, 1956

To

The Bench Officer,
Company Law Board Bench,
———————Region,
—————————.

Name of the Company : Messrs—————————————————————

The petitioner company named above states as follow:—

1. The instrument(s) of transfer of securities of the company (as per details given in the annexure to this petition) was/were lodged on————for the purpose of transfer of the said securities in the name of———————————

(Name and address)

(hereinafter referred to as the "transferee") from—————————————————— (hereinafter referred to

(Name and address)

the "transferor".)

2. The petitioner company has, in its Board meeting held on..————————, for the undermentioned reason(s) ————————formed, in good faith, the opinion that the registration of the said securities in the name of the transferee(s) should be refused :

(specify the reasons, giving full details—Annex additional pages, if deemed necessary)

1. that the transfer of securities is in contravention of the following provision of the law——————————————————
2. that the transfer of the security is likely to result in such change in the composition of the Board of Directors as would be prejudicial to the interests of the company or to the public interest;
3. that the transfer of the securities is prohibited by the order——————(give details of the Court, tribunal or other authority).
4. ————————————————————————

3. In pursuance of the provisions of clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act, the petitioner company hereby seeks the confirmation of the Company Law Board Bench in regard to the opinion to refuse registration of transfer of the said securities in the name of the transferee, in view of the reasons stated in para 2 above. A copy of this petition is also being sent, by Registered post A/D, to the said transferor(s) and transferee(s). [Give name and address of transferor(s) and transferee(s)].

4. In making this reference to the Company Law Board, due compliance has been made, by the petitioner company, of the provisions of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975.

Signed

For and on behalf of the Petitioner Company.

Encl : As above — Name and Designation of the authorised officer.

Dated the

Annexure as referred to in the petition

Number and full description of securities.	No. in figures	No. in words	Description Equity/reference/Debentures

————————————————

Distinctive Numbers————————".

8. In Appendix-II to the said rules-

(i) for the heading, square brackets, words and figures "[see rules 9(3), 37]", the heading, square brackets, words, figures and letter "[see rules 9(3), 9(3A) and 37]", shall be substituted;

(ii) after serial number 4 and the enteries relating thereto, the following shall be inserted, namely:

1	2	3	4
"5.	Clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act,	Reference for issuance of direction for registration/non-registration of securities.	1. Instrument of transfer and other documents accompanying the transfer loadged with the company. 2. Copies of the correspondence exchanged with the transferor/ transferee/ stock broker/concerned stock exchange. 3. Authenticated copy of the lodgement of instrument of transfer with the company 4. Notice given to the transferor/tansferee under clause (b) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act. 5. Resolution of the Board of Directors giving reasons for refusal to register the transfers. 6 Three copies of the Memorandum/Articles of Association of the company. 7. Documentary evidence in proof of the status of the company. 8. Affidavit in Form No. 2. 9. Chellan/Bank Draft in token of having paid the application fee. 10. Memorandum of Appearance in Form No. 4.

[File No. 5/4/85-CL.V]

A.M. CHAKRABORTI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986